न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्योराम वर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 87 /2020

1. हड़माननाथ पुत्र स्व. आसनाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम ऊंटालड़ तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
2. श्रीमती तुलछा देवी पत्नी स्व. मांगुनाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम ऊंटालड़ तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
3. भंवरनाथ पुत्र स्व. मांगुनाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम ऊंटालड़ तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
4. श्रीमती शान्ति पत्नी स्व. बुद्धनाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम ऊंटालड़ तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
5. अमरनाथ पुत्र स्व. बुद्धनाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम ऊंटालड़ तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
6. ओमनाथ पुत्र स्व. बुद्धनाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम ऊंटालड़ तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
7. परमेश्वरी पुत्री स्व. बुद्धनाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम ऊंटालड़ तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
8. बुली पुत्री स्व. बुद्धनाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम ऊंटालड़ तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
9. पुजा पुत्री स्व. बुद्धनाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम ऊंटालड़ तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
10. कुमारी भगवानी नाबालिग उम्र 16 वर्ष पुत्री स्व. बुद्धनाथ जरिये अपनी माता प्राकृतिक संरक्षिका श्रीमती शान्ति पत्नी स्व. बुद्धनाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम ऊंटालड़ तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)

.........वादीगण........

बनाम

1. मूलनाथ पुत्र स्व. रूपनाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम ऊंटालड़ तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)

लगातार........2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

Scanned by CamScanner

2. मदननाथ पुत्र मूलनाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम ऊंटालड़ तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)

3. हुक्मनाथ पुत्र मूलनाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम ऊंटालड़ तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)

4. शिवनाथ पुत्र स्व॰ बुद्धनाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम ऊंटालड़ तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)

5. श्रीमान् मैनेजर साहब स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा कातर छोटी तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)

6. श्रीमान् मैनेजर साहब स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा बीदासर तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)

7. श्रीमान् मैनेजर साहब स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा सुजानगढ़ तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू (राजस्थान)

8. श्रीमान् उपपंजीयक महोदय, कार्यालय बीदासर, तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)

...........प्रतिवादीगण.......

10. मुन्नी पुत्री स्व॰ बुद्धनाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम ऊंटालड़ तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)

...........गौणप्रतिवादीनी.........

दावा विभाजन व चिर निषेधाज्ञा

उपस्थितः– **(1) विद्वान अधिवक्ता श्री रामसिंह राठौड़, अमरसिंह राठौड़ वादीगण की ओर से व**
(2) विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज गोदारा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से
(3) विद्वान अधिवक्ता श्री महावीरसिंह राठौड़ प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से
(4) राजपैरोकार उपस्थित

दिनांक : 26-12-2022

–: निर्णय :–

दावे के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 व गौणप्रतिवादीनी संख्या 10 के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा, काश्त के खेत खसरा नंबर 305 तादादी 12.8867 हैक्टेयर, खसरा नंबर 307 तादादी 4.2998 हैक्टेयर, खसरा नंबर 308 तादादी 4.2619 हैक्टेयर, खसरा नंबर 349 तादादी 8.3340 हैक्टेयर, खसरा नंबर 332 तादादी 1.5176 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल तादादी 31.3000 हैक्टेयर वाके रोही ऊंटालड़ तहसील बीदासर

लगातार.........3 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

Scanned by CamScanner

जिला–चूरू राजस्थान में स्थित चली आ रही है। उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में मुताबिक हिस्सा कस्सी के संयुक्त खातेदारी में चली आ रही है। वादगत खसरेजात की भूमि का 50 वर्ष पूर्व पक्षकारान के पूर्वजों ने पारिवारिक तौर पर बाहमी बंटवारा कर लिया था मुताबिक बंटवारा के वादीगण गौणप्रतिवादीनी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 काबिज चले आ रहे है तथा पुख्ता सींवें कायम कर रखी है। राजस्व रेकॉर्ड में अविभाजित खातेदारी चली आ रही है। संयुक्त खातेदारी के चलते सरकारी लाभ नही मिलता है व वादी संख्या 1 के आवागमन के लिये खेत खसरा नंबर 349 के बीच में स्थित कटाणी मार्ग से फंटकर खसरा नंबर 349 की उतरी सींव के पास–पास आवागमन का रास्ता है तथा वादीगण ने वादगत भूमि के विभाजन के लिये दिनांक 04.08.2020 को निवेदन किया जिस पर प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया तो वादीगण ने विभाजन व चिर निषेधाज्ञा का दावा पेश किया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 2 मदननाथ ने जबाब दावा मय क्रोसदावा पेश किया तथा जबाब दावा में वादीगण के दावे को स्वीकार करते हुये कथन किया कि मुताबिक हिस्सा कस्सी के विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 ने जबाब दावा पेश किया है उन्होने भी वादीगण के दावे को स्वीकार किया है। प्रतिवादी संख्या 2 के क्रोसदावा का जबाब वादीगण संख्या 1 ता 3 की ओर से पेश किया गया उसमें वादीगण के दावा को स्वीकार किया गया है। दौराने वाद विचारण उभय पक्षकारान के राजीनामा हो गया पक्षकारान ने न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांकित 21.12.2022 को राजीनामा पेश किया जो न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया।

बहस सुनी गयी, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलाकन किया गया। पक्षकारान के अधिवक्तागण ने बहस के दौरान कथन किया कि दावा कृषि भूमि के विभाजन व चिर निषेधाज्ञा प्राप्ति का है। पक्षकारान के आपस में राजीनामा हो चुका है। नजरी नक्शा के मुताबिक राजस्व रेकॉर्ड के नक्शा में तरमीम किया जावे। लगान अलग से कायम किया जावे तथा राजीनाम के मुताबिक दावा डिक्री फरमाया जावे। राजीनामा न्यायालय द्वारा तस्दीक किया जा चुका है। दावा कृषि भूमि के विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा का है जो राजीनामा के मुताबिक स्वीकार किया जाकर दावा वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः दावा अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है कि वादगत खेत खसरा नंबर खसरा नंबर 305 तादादी 12.8867 हैक्टेयर, खसरा नंबर 307 तादादी 4.2998 हैक्टेयर, खसरा नंबर 308 तादादी 4.2619 हैक्टेयर, खसरा नंबर 349 तादादी 8.3340 हैक्टेयर, खसरा नंबर 332 तादादी 1.5176 हैक्टेयर वाके रोही ऊंटालड़ तहसील बीदासर जिला–चूरू राजस्थान की भूमि का विभाजन किया जाकर वादी संख्या 1 हड़माननाथ के हिस्से पांति में खेत खसरा नंबर 349 मीन तादादी 4.9258 हैक्टेयर पूर्वी ओर की भूमि, वादी संख्या 2 व 3 (तुलछा देवी व भंवरनाथ) के हिस्से पांति में खेत खसरा नंबर 308 तादादी 4.2619 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खेत खसरा नंबर

लगातार........4 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

Scanned by CamScanner

307 मीन तादादी 0.6323 हैक्टेयर अगुणी तरफ की कुल तादादी 4.8942 हैक्टेयर, वादीगण संख्या 4 ता 10 (शान्ति, अमरनाथ, ओमनाथ, परमेश्वरी, बुली, पुजा, भगवानी) गौणप्रतिवादीनी संख्या 10 मुन्नी व प्रतिवादी संख्या 4 शिवनाथ के हिस्से पांति में खेत खसरा नंबर 332 तादादी 1.5176 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खेत खसरा नंबर 349 मिन तादादी 3.4082 हैक्टेयर वादी संख्या 1 हड़माननाथ के पश्चिमी तरफ की कुल तादादी 4.9258 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 1 मूलनाथ के हिस्से पांति में खेत खसरा नंबर 305 मिन तादादी 0.7588 हैक्टेयर दक्षिणी तरफ की, प्रतिवादी संख्या 2 मदननाथ के हिस्से पांति में खेत खसरा नंबर 307 मिन तादादी 3.6675 हैक्टेयर वादी संख्या 2 व 3 के पश्चिमी ओर व खेत खसरा नंबर 305 मिन तादादी 4.2302 हैक्टेयर पूर्वी ओर की कुल तादादी 7.8977 हैक्टेयर भूमि व प्रतिवादी संख्या 3 हुक्मनाथ के हिस्से पांति में खेत खसरा नंबर 305 मिन तादादी 7.8977 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के पश्चिमी तरफ व प्रतिवादी संख्या 1 के उतरी तरफ की भूमि की खातेदारी पक्षकारान के नाम से खातेदारी अलग–अलग दर्ज किये जाने का आदेश दिये जाते है। उभय पक्षकारान को जरिये चिर निषेधाज्ञा से वर्जित किया जाता है कि खेत खसर नंबर 332 व 349 के बीच में स्थित कटाणी मार्ग से फंटकर खसरा नंबर 349 की उतरी सींव के पास–पास 13 फुट चौड़ा रास्ता व खेत खसरा नंबर 307 व 308 के दक्षिणी सींव के पास–पास 13½ फुट चौड़ा रास्ता आवागमन के लिये खुला रहेगा जिसे कोई भी पक्ष बंद नहीं करेगा। प्रतिवादी संख्या 9 को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय व डिक्री के राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद कर नक्शा ट्रैस में तरमीम करें व लगान कायम करें तथा रहन यथावत रखी जावे, तदनूसार पर्चा डिक्री जारी हो, खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 26-12-2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्योराम वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी बीदासर
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

Scanned by CamScanner